भी हैं तो उसके पास ऐसा कोई शासनादेश नहीं होता कि वह तत्काल उसे किसी एक या अधिक एजेंसियों तक पहुंचा सके। ऐसे संबंधों के बारे में जिस एजेंसी को सूचना प्राप्त होती हैं, वह इस बात से भी आशंकित होती हैं कि इस प्रकार सूचना प्रदान करने से वक्त से पूर्व इसके लीक हो सकने की वजह से इसके अपने कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हैं। संक्षेप में, फील्ड में वर्तमान में कार्यरत विभिन्न एजेंसियां यह सावधानी बरतती हैं कि अपने कार्यक्षत्र की ड्यूटियों, जिनके अंतर्गत उनके संगठन से संबंधित कानूनों के उल्लघंन से निपटाना होता हैं, पर ही ध्यान केन्द्रित करें और ऐसे संबंधों के बारे में जो सूचना उन्हें मिलती हैं, उसे जानबूझ कर एक तरफ कर दें,

(ग) से (ड़) उपरिल्लिखित निष्कर्षो के मद्देनजर बोहरा समिति ने विभिन्न आसूचना एजेन्सियों के सूचना/आसूचना एकत्र करने और मिलाने के लिए तथा शिनाख्त शुदा संगठनों के माध्यम से कार्य करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक नोडल एजेंन्सी स्थापित करने की सिफारिश की ताकि राजनीतिज्ञों, नौकरशाह और व्यापारियों के साथ अपराधियों का गठजोड़ समाप्त हो जाये। तद्नुसार 2.8.95 को गृह सचिव की अध्यक्षता में सचिव (राजस्व), सचिव (रा0), निदेशक (आ0 ब्यूरो) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य के रूप में लेकर एक नोडल ग्रुप की स्थापना की गयी। मंत्रिमंडल सचिव द्वारा इसके अध्यक्ष. का पद सम्भालने के साथ गृह सचिव, सचिव (राजस्व), सचिव (रा0), निदेशक (आ0ब्यूरो), निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) को सदस्य के रूप में लेकर 5.1.96 को इस नोडल ग्रुप का पुर्नगठन किया गया।

बाद में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों ने अनुपालन में गृह सचिव को अध्यक्ष तथा सदस्य (जांच-हड़ताल), सी0 बी0 डी0 टी0, महानिदेशक (राजस्व आसूचना), निदेशक (प्रवर्तन) और निदेशक (केन्द्रीय जांच ब्यूरों) को सदस्य और सचिव (कार्मिक और प्रशिक्षण) सचिव (राजस्व), सचिव (रा.) और निदेशक (आ0 ब्यूरो) को विशेष आमंत्रित व्यक्तियों के रूप में लेकर नोडल ग्रुप का जनवरी, 1998 में पुनर्गठन किया गया। नोडल ग्रुप की बैठक प्रत्येक माह होती हैं जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने निदेश दिए हैं।

स्वतंत्रता सेनानी-पेंशन

1148. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों को दी गई पेंशन राशि में कोई भिन्नता हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंध राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं,

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने हाल ही में स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन राशि में वृद्धि की हैं,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी में समानता लाने का विचार कर रही हैं, और

(ड़) क्या सरकार इस संबंध में समानता लाने का विचार कर रही हैं, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) राज्य सरकारों द्वारा अपने राजस्व के वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उपलब्ध पेंशन की राशि में एक रूपता नहीं हैं।

(ख) से (घ) केन्द्रीय स्तर पर इस संबंध में ब्यौरे नहीं जाते हैं।

(ड़) और (च) जी, नहीं। केन्द्र सरकार का संबंध स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्रदान करने से हैं। अपनी योजनाएं बनाने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं।

Increase in Crime Rate in the Country

1149. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the crime rate all over the country, in general, and particularly in metro cities has considerably gone up;

(b) if so, the details of such cases during the last two years, city-wise separately;

(c) in how many cases the criminals have been booked; and

(d) the steps taken by Government to check crime rate in the country?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (c) According to available information, the crime rate (cases per lakh of population) at All-India level has declined from 183.4 in 1996 to 181.3 in 1997.

A statement indicating the incidence of cognizable crime in major cities of the country during the years 1996 and 1997 is enclosed (Statement-I) (see below). Information in regard to cases